REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072025-264470 CG-DL-E-08072025-264470

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 2025/आषाढ़ 17, 1947 No. 413] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 2025/ASHADHA 17, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 456(अ).— केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क की उपधारा (1), लागत लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्यांक सा.का.नि.835 (अ), तारीख 3 नवंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

1. उक्त अधिसूचना में, -

(क) क्रम संख्या (4) और (5) तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"(4) सीए. के रघु,

- सदस्य

के.आर.पिनेकल, नंबर 281

दूसरा तल, 7वां मेन, बीटीएम लेआउट,

II स्टेज, बेंगलुरु-560076

[चार्टर्ड अकाउंटेट अधिनियम 1949 की धारा 22क की उपधारा (1) के खण्ड के तहत नियुक्त];

4489 GI/2025

2

(5)

- सदस्य

सीए. पंकज त्यागी, सी-504, यूनेस्को अपार्टमेंट, आई.पी. एक्सटेंशन, प्रतापगंज, नई दिल्ली-110092

> [चार्टर्ड अकाउंटेट अधिनियम 1949 की धारा 22क की उपधारा (1) के खण्ड के तहत नियुक्त];

(ख) क्रम संख्या (7), (8) और (9) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(7)	सीएमए. एच पद्मनाभन	- सदस्य
	पुराना नंबर, 12 न्यू नं. 23 रामा	सामी,
	गार्डन पेरुमल, एसटी रोयापेट्टा,	
	चेन्नई-600014, तमिलनाडु	
		[लागत लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 22क के तहत नियुक्त];
(8)	सीएस आशीष गर्ग,	- सदस्य
	107, गोल्ड आर्केड,	
	क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने,	
	3/1, न्यू पलासिया, इंदौर-4520	01
		[कंपनी संचिव अधिनियम 1980 की धारा 22क के तहत नियुक्त];
(9)	सीएस राजीव बजाज,	- सदस्य
	बजाज और बजाज कारपोरेट चैम	बर्स,

वजाज जार बजाज फारपारट यम्बस, 4112, एटीएस वन हैमलेट, सेक्टर 104, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201304

[कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 22क के तहत नियुक्त];

[फा. सं. 12/15/2007-पीआई खंड III]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 835 (अ), तारीख 4 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1130 (अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2016, सा.का.नि. 171(अ), तारीख 1 मार्च, 2019, सा.का.नि. 413(अ), तारीख 10 जून, 2019, सा.का.नि. 408(अ), तारीख 15 जून, 2021, सा.का.नि. 415(अ), तारीख 16 जून, 2021, सा.का.नि. 212(अ), तारीख 17 मार्च, 2022, सा.का.नि 222(अ), तारीख 25 मार्च, 2022, सा.का.नि. 668 (अ), तारीख 30 अगस्त, 2022, सा.का.नि 255 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2024,सा.का.नि. 506(अ) तारीख 16 अगस्त, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें सा.का.नि. 433(अ) तारीख 30 जून, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2025

G.S.R. 456(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), section 22A of the Cost Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and section 22A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015, namely:-1. In the said notification, for serial numbers (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -(a) "(4) CA. K Raghu, Member; K.R. Pinnacle, No. 281 2nd floor, 7th Main, BTM Layout, [Appointed under clause (b) of sub- section (1) of II Stage, Bengaluru- 560076 Section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949]; (5) CA. Pankaj Tyagee, Member; C-504, Unesco Apartment, I.P. Extension, Patpargani, New Delhi-110092 [Appointed under clause (b) of sub-section (1) of Section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949];". (b) for serial numbers (7), (8) and (9) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: "(7) CMA. H Padmanabhan Member; Old No. 12 New No. 23 Ramasamy, Gardens Perumal, St Royapettah, Chennai- 600014, Tamil Nadu [Appointed under Section 22A of the Cost Accountants Act, 1959]; (8) CS Ashish Garg, Member, 107, Gold Arcade, Opp. Curewell Hospital, 3/1, New Palasia, Indore-452001 [Appointed under Section 22A of the Company Secretaries Act, 1980]; (9) CS Rajiv Bajaj, Member; Bajaj & Bajaj Corporate Chambers, 4112, ATS One hamlet, Sector 104, Gautam Buddha Nagar, Noida- 201304 [Appointed under Section 22A of the Company Secretaries Act, 1980]; [F. No. 12/15/2007-PI Vol III]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note.- The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015 and subsequently amended, vide notification numbers G.S.R. 1130(E), dated the 13th December, 2016, G.S.R. 171(E), dated the 1st March, 2019, G.S.R. 413(E), dated the 10th June, 2019, G.S.R. 408(E), dated the 15th June, 2021, G.S.R. 415(E), dated the 17th March, 2022, G.S.R. 222(E), dated the 25th March, 2022, G.S.R. 668 (E), dated the 30th August, 2022, G.S.R. 255 (E), dated the 26th April, 2024, G.S.R 506 (E), dated the 16th August, 2024 and last amended vide G.S.R.433(E) 30th June 2025.